

FORM OF ORDER SHEET
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Arbitration Case No.-01/2015]

Vishweshar Sah.....Appellant

Versus

Project Director NHAI & Others.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	25.8.2026	आदेश राज्य उपस्थित । आवेदक अनुपस्थित हैं । उल्लेखनीय है कि आवेदक विगत 08 (आठ) तिथियों से सुनवाई में लगातार अनुपस्थित हैं । आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया । प्रस्तुत वाद में आवेदक द्वारा NH-57 परियोजना के लिए उनकी अधिग्रहित भूमि अंचल-राघोपुर, मौजा-सिमराही, थाना नं०-118, खेसरा सं०-1025 पर बने मकान की पुनः नापी कराते हुए अधिग्रहण की तिथि को बाजार मूल्य के आधार पर पुनः मुल्यांकन करते हुए भूमि के मूल्य पर 50 प्रतिशत सोलेसियम एवं मकान का पुनः मुल्यांकन पर 30 प्रतिशत में सोलेसियम वो कुल राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा हेतु वाद दायर किया गया है । विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वाना अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दायर वाद कालबाधित रहने के कारण पोषणीय नहीं है । सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँचोपरांत संरचना का मुल्यांकन किया गया । उपरोक्त परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि के खेसरा सं०-1007, 1024 पर अवस्थित संरचना का कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल से प्राप्त मुल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिकर की राशि (मो०-11,62,872) से आयकर की कटौती (मो०-1,06,287) करते हुए अवशेष राशि (मो०-10,56,585) चेक सं०-779198 के माध्यम से आवेदक को कर दिया गया है, जिसे आवेदक द्वारा बिना आपत्ति आवेदन के स्वीकार किया गया । जबकि जिला भू-अर्जन के अमीन प्रतिवेदनानुसार खेसरा सं०-1025, का रकवा-01 डी० 900 वर्ग कड़ी प्रकाशित 3D से बाहर की जमीन है । तद्दालोक में विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है । अभिलेख का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान संगत नियमों के आलोक में किया गया है । फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति संबंधितों को भेजे । आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा । लेखापित एवं शुद्धित । आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

